

राजस्थान सरकार  
न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठाधीन अधिकारी - कमलेश कुमार (आर.टी.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2013

अन्तर्गत धारा 90 क संपटित धारा 91 राजस्थान भू-राज. अधिनियम 1956  
सरकार बलगत 1. श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ़ तहसील  
नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

- निर्णय :-


दिनांक: 24.02.2020

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, नवलगढ़ कि रिपोर्ट अनुसार करवा नवलगढ़ स्थित भूमि खसरा 447 रकबा 2.83 है, किस्म बाराणी प्रथम कि खातेदारी श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ़ ने 660 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय मकान बनाने के लिए भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क संपटित धारा 91 के तहत दर्ज कर अपाठी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अपाठीगण उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

पत्रावली में संलग्न दरतावेजो का अवलोकन किया गया पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान में मौका रिपोर्ट वाही गई जिसमें पटवारी हल्का में बताया कि खसरा 447 रकबा 2.83 है, किस्म बाराणी प्रथम श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ़ ने 660 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय मकान बनाने के लिए भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है।

पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम नवलगढ़ स्थित भूमि खसरा 447 रकबा 2.83 हैक्टर किस्म बाराणी प्रथम कि खातेदारी श्री भूदाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो नगर पालिका नवलगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र के अधीन आती है अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3(313)नविदि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किया गया है। जिससे दिनांक 17.06.1999 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नहीं करता है और मौके पर खातेदार ने या उसके हस्तान्तरिती/हस्तान्तरितियों ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 संपटित धारा 90-क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये यथोचित ओदश पारित करेगा। अतः इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 06/2013 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए संपटित 91 की पत्रावली नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3 (313) नविदि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नवलगढ़ को हस्तान्तरित की जाकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
तहसीलदार नवलगढ़